एक नजर में

भोपाल में हुआ अंजुमन मंसूरी 'आरजू' के गजल संग्रह का विमोचन

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, म.प्र. संस्कृति परिषद एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में आयोजित गरिमामयी साहित्यिक समारोह में छिंदवाड़ा की सुप्रसिद्ध ग़ज़लकारा अंजुमन मंसूरी आरजू के नए ग़ज़ल संग्रह 'तनवीर आधी रह गई' का भोपाल में भव्य विमोचन किया गया। पुस्तक का प्रकाशन मध्यप्रदेश उर्दू साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से किया गया है। कार्यक्रम मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी कार्यालय, मुल्ला रमूज़ी संस्कृति भवन, भोपाल में आयोजित हुआ, जहां साहित्य, संस्कृति और उर्दू अदब से जुड़े अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह के दौरान ÷पुस्तक लेखन, प्रकाशन और पाठकीयता के बदलते सरोकार÷ विषय पर विशेष विमर्श भी आयोजित किया गया, जिसमें साहित्य के वर्तमान दौर और पाठकों की बदलती रुचियों पर गंभीर चर्चा हुई। उर्दू अकादमी की निदेशक डॉ. नुसरत मेहदी ने कहा कि आज लेखन और प्रकाशन के क्षेत्र में निरंतर विस्तार हो रहा है, लेकिन साहित्य की गुणवत्ता और पाठकों से उसका जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने 'तनवीर आधी रह गई' को संवेदनाओं और बेहतरीन अभिव्यक्ति से सजी उल्लेखनीय कृति बताया। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रख्यात शायर एवं साहित्यकार शीन काफ़ निज़ाम ने समकालीन साहित्य और पाठकीयता के बदलते स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. मो. नौमान ख़ान ने की, जबकि संचालन इक़बाल मसूद ने किया।समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे साहित्य प्रेमियों, शोधार्थियों, बुद्धिजीवियों और कला प्रेमियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। उपस्थित सभी लोगों ने अंजुमन मंसूरी आरजू को नए ग़ज़ल संग्रह के लिए बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।

अखण्ड कीर्तन और महाप्रसाद वितरण का किया जाएगा आयोजन

छिंदवाड़ा। श्री दादाजी धूनीवाले का अखंड नाम सर्कीतन विशाल शोभा यात्रा एवं महाप्रसाद भंडारे का आयोजन परमात्मा के अनुग्रह माँ नर्मदा की असीम कृपा से श्री दादाजी धूनीवाले के चौबीस घंटे के अखंड नाम संकीर्तन भज लो दादाजी का नाम भज लो हरिहर जी का नाम का आयोजन दादाजी सेवक गोपीचंद पवार एवं परिवार की ओर से आयोजित किया गया है । आनंद बक्षी ने बताया कि दिन गुरूवार को प्रातः 8.30 बजे से शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कालोनी से शोभा यात्रा श्री शिर्डी साई मंदिर तक निकाली जावेगी । इसके उपरांत आरती होगी तथा प्रातः 10.00 बजे से 24 घंटे का अखंड नाम संकीर्तन प्रारम्भ होगा। सायः 5 बजे एवं रात्रि 8 बजे आरती की जायेगी। 29 मई दिन शुक्रवार को प्रातः 5 बजे आरती एवं अभिषेक प्रातः 9 बजे श्री सत्यनारायण कथा तथा कथा के उपरांत अखंड नाम संकीर्तन का समापन तथा महाआरती की जायेगी दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक भक्तगणों हेतु विशाल महाप्रसाद भंडारा आयोजित किया गया है। सेवक गोपीचंद पवार तथा समस्त दादाजी धूनीवाले भक्त परिवार ने दो दिवसीय आयोजन उपस्थित होकर पुण्यार्जन का आग्रह किया हैं।

अखिल भारतीय महेश्वरी महिला संगठन ने सशक्त मुद्रा व समृध्द भारत अभियान को लेकर सांसद से की मुलाकात

छिंदवाड़ा। अखिल भारतीय महेश्वरी महिला संगठन प्रांत पूर्वी मध्यप्रदेश जबलपुर संभाग के पदाधिकारियों ने सशक्त मुद्रा व समृध्द भारत अभियान को लेकर सांसद बंटी विवेक साहू से मुलाकात की है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने सांसद श्री साहू से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी और उनके अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की है। मुलाकात के दौरान जिला महेश्वरी महिला संगठन की पदाधिकारियों ने सांसद बंटी विवेक साहू को बताया कि उनके द्वारा स्वदेशी को अपनाने, सोने के मोह को त्यागने, ईंधन की बचत, विदेशी मुद्रा का संरक्षण, वर्क फॉर होम एवं स्वस्थ जीवन सशक्त भारत को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। जिसे लोगों का सर्मथन मिल रहा है। इस दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने जिला महेश्वरी संगठन द्वारा चलाए जा रहे अभियान की प्रशंसा करते हुए उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। इस दौरान महापौर विक्रम अहके सहित जिला महेश्वरी महिला संगठन की ओर से पूर्वी मध्य प्रदेश संभागीय उपाध्यक्ष व जिला उपाध्यक्ष श्रीमती शुचिता राठी, नगर निगम अध्यक्ष सौंसर श्रीमती सुरेखा डागा, जिला अध्यक्ष अलका जखोटिया, संभाग सचिव मोना मालानी, जिला सचिव श्वेता बागानी, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष बागानी, संगठन मंत्री हर्षा टावरी, प्रदेश सदस्य संगीता राठी, जिला सदस्य रीता राठी, पेट्रोल पंप अध्यक्ष छिंदवाड़ा अनिल राठी,उमेश जखोटिया,ललित मालानी,राजकुमार राठी,स्वरूप राठी आदि उपस्थित थे।

अवैध कारोबार

नदी किनारे, एमपीईबी ऑफिस और लिंगा की शराब दुकान के पास खुलेआम चल रहा 'ओपन बार', ठेकेदार पर प्रशासन मेहरबान

उमरानाला क्षेत्र में शराब दुकानों की आड़ में सज रहे अवैध अहाते

नवभारत न्यूज

मोहखेड़, 28 मई, उमरानाला चौकी क्षेत्र अंतर्गत लाइसेंसी शराब दुकानों के आसपास इन दिनों अवैध अहातों का कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। उमरानाला नदी किनारे, एमपीईबी ऑफिस के पास तथा लिंगा में हाइवे मार्ग स्थित शराब दुकान के आसपास शाम ढलते ही अस्थायी अहाते सज जाते हैं, जहां खुलेआम शराबखोरी का दौर चलता है। नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे इन अवैध अहातों पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब दुकान संचालकों और ठेकेदारों की मिलीभगत से इन स्थानों पर खुलेआम बैठकर शराब पिलाई जा रही है। प्लास्टिक खाने-पीने की व्यवस्था तक कर दी जाती है, जिससे यह स्थान पूरी तरह ओपन बार में तब्दील हो चुके हैं। देर रात तक यहां भीड़ जुटती है और शराबियों के हुड़दंग से आसपास का माहौल खराब हो रहा है।

नदी किनारे बढ़ रही अव्यवस्था

नदी किनारे संचालित हो रहे अवैध अहातों के कारण गंदगी और असामाजिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। खाली शराब की बोतलें, डिस्पोजल और अन्य कचरा नदी क्षेत्र में फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। शाम होते ही यहां शराबियों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे आम लोगों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लिंगा में भी नियमों की उड़ रही धज्जियां

लिंगा क्षेत्र की शराब दुकान के पास भी अवैध अहातों का संचालन धड़ल्ले से जारी है। यहां दुकान के आसपास अस्थायी बैठने की व्यवस्था कर शराब पिलाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासनिक अमला कार्रवाई नहीं कर रहा।

महिलाओं और राहगीरों में डर का माहौल

इन अवैध अहातों के कारण महिलाओं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शराब के नशे में धुत लोग राह चलते लोगों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है।

कार्रवाई नहीं होने से उठ रहे सवाल

क्षेत्र में खुलेआम संचालित हो रहे इन अवैध अहातों पर कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टर और आबकारी विभाग से अवैध अहातों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

गुद्दम पंचायत में बायो रिसोर्स सेंटर की स्थापना

प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

नवभारत न्यूज

जुन्नारदेव, 27 मई, विकासखण्ड क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने और किसानों की उत्पादन लागत को घटाने के उद्देश्य से विगत एक महत्वपूर्ण पहल की गई। नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुद्दम में उन्नतशील कृषक श्रीमती शशिकला कवरेती के निवास स्थान पर बायो रिसोर्स सेंटर (बीआरसी - जैव संसाधन केंद्र) का सफलतापूर्वक सेटअप किया गया।

यह केंद्र कृषि विभाग के दल एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित किया गया है। इस सेंटर के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही किसानों को जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत और विभिन्न प्रकार के जैविक कीटनाशक व खाद उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे उन्हें बाजार के महंगे रासायनिक उत्पादों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

इस गरिमामयी अवसर पर कृषि विभाग और आजीविका मिशन के प्रमुख अधिकारी व विशेषज्ञ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एस.स. मरकाम, कृषि विस्तार अधिकारी रमेश पवार, सहायक तकनीकी प्रबंधक (आत्मा) चुड़ामन सोनारे, सहायक ब्लॉक मैनेजर (राष्ट्रीय आजीविका मिशन) फिरोज दीवान एवं राकेश यादव ने अपनी उपस्थिति दी। उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि बायो रिसोर्स सेंटर की स्थापना से क्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक खेती की बारीकियों को समझने में मदद मिलेगी। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की सेहत को सुधारना, पर्यावरण को बचाना और खेती की बढ़ती लागत को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। अधिकारियों ने स्थानीय कृषकों से अपील की हैं कि वे रासायनिक उर्वरकों का मोह छोड़कर प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाएं। इस अवसर पर गाँव के प्रगतिशील किसान और ग्रामीण भारी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की।

कब्जा आदेश को अनुविभागीय राजस्व न्यायालय ने किया निरस्त

नवभारत न्यूज

परासिया, 27 मई, ग्राम भमोड़ी में विवादित भूमि मामले में तहसीलदार न्यायालय द्वारा जारी कब्जा आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय ने रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार डॉ. नलिन कुमार से जुड़े मामले में पारित कब्जा आदेश को लेकर पीड़ित पक्ष आफाक खान ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी।

आफाक खान ने बताया कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 0010/अपील/2026-27, ग्राम भमोड़ी, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार परासिया द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 0026/अ-70/2025-26 में दिनांक 11 दिसंबर 2025 को पारित आदेश के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 44(1) एवं धारा 52 के तहत अपील दायर की गई थी।

मामले में धारा 52 के आवेदन पर दोनों पक्षों के तर्क सुनने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शुभम कुमार यादव ने प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में मानते हुए तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2025 के निष्पादन पर प्रकरण के अंतिम निराकरण तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि तहसीलदार न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का कब्जा दिलाने के लिए 26 मई 2026 की तारीख निर्धारित की गई थी। इसी दिन अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसकी जानकारी अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को भी थी। इसके बावजूद राजस्व अमला विवादित भूमि पर कब्जा दिलाने मौके पर पहुंच गया।

आफाक खान ने आरोप लगाया कि उनकी भूमि पर की गई फेंसिंग एवं पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि नुकसान की क्षतिपूर्ति एवं कार्रवाई की मांग को लेकर मौके पर मौजूद लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

पटवा लखेरा समाज के नगर अध्यक्ष बने दीपक पटवा

जुन्नारदेव। पटवा लखेरा समाज जिला छिंदवाड़ा माता महागौरी मंदिर समिति द्वारा अपनी कार्यकारिणी में विस्तार करते हुए नई नियुक्तियां की गई है इसी कड़ी में पटवा लखेरा समाज के जिला अध्यक्ष रमेश बागरे की अनुशंसा पर जुन्नारदेव क्षेत्र के समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता दीपक पटवा को जुन्नारदेव नगर अध्यक्ष के पद पर पदस्थ किया गया है उनकी इस नियुक्ति पर जुन्नारदेव नगर के सामाजिक बंधुओ के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है।

तामिया थाना रामगढ़ में शांति समिति की बैठक संपन्न

नवभारत न्यूज

तामिया, 27 मई, बकरा ईद पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए तामिया थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक हुई। थाना प्रभारी आशीष जैतवार की अध्यक्षता और नायब तहसीलदार तामिया की मौजूदगी में बैठक रखी गई।

अपील थाना प्रभारी ने शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सौहार्द से त्योहार मनाने को कहा उपस्थित लोग मस्जिद कमेटी सदर फिरोज खान, शब्बीर खान, रमजान खान, राज खान, अफजल खान -व्यापारी वर्ग अनिल साहू, विनोद साहू, राजा गुप्ता, दीपक साहू, मुन्ना साहू पत्रकार नितिन दत्त, शांति समिति सदस्य, थाना स्टाफ व स्थानीय नागरिक बैठक में सभी समुदायों से मिलजुलकर पर्व मनाने पर चर्चा हुई।

तामिया में रेत तस्करी करते पकड़ाया ट्रेक्टर

नवभारत न्यूज

तामिया, 27 मई, तामिया थाना प्रभारी आशीष जैतवार की कड़ी धाड़ पकड़ पुलिस प्रशासन की रेत माफिया के ऊपर कड़ी निगरानी सूत्रों से मिली जानकारी केअनुसार फोन पर मिलती है जानकारी के अनुसार की जा रही धड पकड़ पुलिस और खनिज प्रशासन द्वारा रेत माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

जिसमें हाल ही में कई ट्रैक्टर लेकर भाग्य नजर आ रहे हैं और अन्य वाहन जब्त किए गए हैं और कई ट्रैक्टर रोड से हुए फरार सूत्रों के मताबिक पांडू पपरियाम बनी रेत मंडी गिरफ्तारियां भी होने की संभावना है हालांकि, माफियाओं के मुंह के हमले भी लगातार जारी हैं, जिससे स्थिति की गंभीरता का पता चलती है। हालिया कार्रवाई जब्ती और गिरफ़्तारीर भी की जाएगी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खनिज विभाग और पुलिस कलेक्टर के निर्देश अनुसार की जा रहीअवैध रेत खनन के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान कई अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर और थाना प्रांगण में खड़े हुए दिखे प्रशासन की धड़कन तेजी से चल रही है सूत्रों से मिली जानकारी केअनुसार नेताओं की गाड़ियों को भी नहीं बक्शा जायेगा थाना प्रांगण में गाड़ियों से भरा हुआ दिख रहा है।

धनोरा क्षेत्र में चल रही ब्लासटिंग (दानामेट) मशीन

शासन प्रशासन की अनदेखी

नवभारत न्यूज

धनोरा (जागीर), 27 मई, एक ओर सरकार पर्यावरण संरक्षण और अवैध उत्खनन पर नकेल कसने के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर धनोरा क्षेत्र में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ तरीके से दानामेट (ब्लास्टिंग) मशीनों का संचालन जारी है।

ट्रैक्टर में सेट की जाने वाली ब्लास्टिंग मशीनों का उपयोग अवैध उत्खनन और पत्थर तोड़ने के कार्यों में किया जाता है। बिना वैध लाइसेंस या पर्यावरण नियमों के उल्लंघन में ऐसी ब्लास्टिंग मशीनों का उपयोग करना दंडनीय अपराध है। हैरत की बात यह है कि रिहायशी इलाकों के करीब होते धमाकों से ग्रामिण डरे हुए रहते हैं, और जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए रहते हैं। क्षेत्र में मशीनों के माध्यम से की जा रही भारी ब्लास्टिंग के कारण जमीन हिल रही है, नियमों के अनुसार ब्लास्टिंग के समय उचित दूरी और चेतावनी जरूरी है, लेकिन यहाँ सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। क्षेत्र में चल रही इन अवैध गतिविधियों की जानकारी स्थानीय प्रशासन को न हो, ऐसा सम्भव नहीं है । विभाग क्षेत्र में जांच के नाम पर औपचारिकता निभा रहा है जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं

शासन-प्रशासन की यह अनदेखी भ्रष्टाचार की ओर इशारा है संबंधित विभाग को तत्काल हस्तक्षेप कर इन मशीनों की वैधता की जांच करनी चाहिए और अवैध रूप से चल रहे दानामेट ब्लासटिंग पर तत्काल रोक लगानी चाहिए।

लापरवाही

रोज शहर से अपडाउन कर रहे कर्मचारी, ग्रामीणों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा

समय से पहले पटवारी कार्यालयों में लग जाते हैं ताले, तहसीलदार नहीं कस पा रहे शिकंजा

नवभारत न्यूज

मोहखेड़, 27 मई, मोहखेड तहसील क्षेत्र के पटवारी कार्यालयों की व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह पटरी से उतरी नजर आ रही है। कई पटवारी समय से लेट आना और पहले ही कार्यालय बंद कर शहर की ओर रवाना हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि दूर-दराज से आने वाले लोग कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां ताले लटके मिलते हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकांश कर्मचारी रोजाना शहर अपडाउन करते हैं और समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते। वहीं दोपहर ढलते ही कार्यालय बंद कर निकल जाते हैं। इससे नामांतरण, सीमांकन, फौती, नक्शा, ऋण पुस्तिका और अन्य राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग लगातार चक्कर काटने के बाद भी अपने जरूरी काम नहीं करा पा रहे।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि तहसीलदार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। कर्मचारियों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय मौन बने हुए हैं। यही कारण है कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन खत्म होता नजर आ रहा है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कार्यालयों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण आमजन का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। किसानों को खेती-किसानी के काम छोड़कर बार-बार तहसील और पटवारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी व्यवस्था सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाते नजर नहीं आ रहे।

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पटवारी कार्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।